सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: **socialauditup@yahoo.in**

पत्रांकः 686/सो.आ.नि.-3/464/2019
दिनाँकः 11 मार्च, 2019

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/ जिलाधिकारी,
(गौतमबुद्वनगर, गाजियाबाद एवं कासगंज को छोड़कर)
उ0प्र0।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 में कराए गए कार्यो के सोशल आडिट के लिए कैलण्डर को स्थगित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्र संख्या–527/सो0आ0नि0–3/464/2019 दिनांक 15–01–2019 एवं 491/सो0आ0नि0–318(3) /2016 दिनांक 03–01–2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट किए जाने हेतु तिथियॉ निर्धारित करते हुए सोशल आडिट कैलेण्डर जारी किया गया था।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सोशल आडिट प्रकिया को पूर्ण किए जाने हेतु ग्राम सभा की बैठक होना महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में लोक सभा चुनाव घोषित होने के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक कराया जाना उपयुक्त नहीं होगा। अतः सोशल आडिट कार्यकम को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। लोक सभा चुनाव के पश्चात सोशल आडिट कार्यकम का निर्धारण करते हुए सूचित किया जाएगा। कृपया अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक।

पत्रांकः–686 /सो0आ0नि0–3/464/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. सम्बन्धित अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।

11/3/19

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक।